कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–03/2014

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज प्रवर्तन अधिकारी ....प्रार्थी

बनाम

गोपाल सिंह पुत्र श्री स्वर्णमल जाति अरोड़ा गोपाल स्वीटस एवं नमकीन कार्नर नजदीक 4/162 सुखाड़िया शॉपिंग सैंटर श्रीगंगानगर

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

।। निर्णय ।। दिनांकः– 6/9/17

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त इस्तगासा पेश किया गया कि दिनांक 21.10.2014 को गैस की काला बाजारी रोकने हेतु सुखाड़िया नगर शॉपिंग सैण्टर स्थित गोपाल स्वीटस एवं नमकीन कार्नर की जांच की गई। वक्त जांच दुकान में दो घरेलु सिलेण्डर मय गैस मिली। बरवक्त जांच घरेलु 02 गैस सिलेण्डर मिठाईयां बनाने वाली भट्ठी से जुड़े पाये गये तथा मिठाईयां बनाई जाकर बेचने का कार्य किया जा रहा था। दुकान मालिक गोपाल सिंह से गैस भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से संबंधी कोई वैध लाइसैंस, अनुज्ञा–पत्र, प्राधिकार पत्र मांगने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार दुकान मालिक द्वारा घरेलु गैस की खरीद कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलु गैस का व्यावसायिक उपयोग कर LPG(REGULATION OF SUPLY AND DISTRIBUTION)ORDER 2000 clause 3(1)(C), 7(1)(C) की अवहेलना की है। अतः सीज शुदा 2 सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रत्युतर पेश किया गया कि जब्त शुदा सिलेण्डर उसके नहीं हैं। उक्त परिसर में विकास कुमार निवासी वार्ड नम्बर 35 मकान नम्बर 2 अशोक नगर(बी) द्वारा रखे हुए थे। परिवाद मिथ्या पेश किया गया है।

विभागीय पैरोकार का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा दौराने निरीक्षण घरेलु 02 गैस सिलेण्डर मिठाईयां बनाने वाली भट्ठी से जुड़े पाये गये तथा मिठाईयां बनाई जाकर बेचने का कार्य किया जा रहा था। स्पष्ट है कि दुकान मालिक द्वारा घरेलु गैस की खरीद कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। जब्त शुदा सिलेण्डर राजसात फरमाये जावें।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि उसका परिवार उक्त परिसर में निवास करता है। सिलेण्डर विकास कुमार द्वारा रखे हुए थे। सिलेण्डर उसके नहीं हैं। परिवाद बिना आधार के पेश किया गया है। कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य के तौर पर पवन बंसल पुत्र श्याम लाल वार्ड नं0 35 मकान नम्बर अशोक नगर (बी) श्री गंगानगर की गैस कनैक्शन संबंधी पासबुक की फोटो प्रतियां पेश की हैं जबकि जवाब में सिलेण्डर विकास कुमार के होने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

जाहिर किये हैं। उक्त तथ्य विरोधाभासी हैं। अपने कथनों के समर्थन में गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है।

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत 02 गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी नियमानुसार उक्त जब्त किये गये सिलेण्डरों को राजसात करने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

क्रमांक:-2429 दिनांक:-8/9/17

निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
श्रीगंगानगर

व.स.